कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-25.03.2025

विषय:- नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त पवन उर्फ गोलू को थाना चोलापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा गुमशुदा/अपहृता की बरामदगी तथा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के कुशल नेतृत्व में थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0082/2025 धारा 137(2),87 बी0एन0एस0 थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त पवन उर्फ गोलू पुत्र स्व0 कैलाश निवासी आयर थाना चोलापुर वाराणसी को दिनांक-24.03.2025 को समय करीब 19.40 बजे चन्दापुर नहर थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित नाबालिग अपहृता/पीड़िता, उम्र करीब 17 वर्ष को थाना चोलापुर पुलिस द्वारा दिनांक-24.03.2025 को सकुशल बरामद किया जा चुका है।

घटना का विवरण- दिनांक 08.03.2025 को वादी मुकदमा/प्रार्थी ने उनकी बेटी उम्र करीब 17 वर्ष को प्रतिवादी पवन उर्फ गोलू द्वारा बहला-फुसला कर कहीं ले जाने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना चोलापुर में मु0अ0सं0 82/2025 धारा 137(2),87 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रदीप सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

पवन उर्फ गोलू पुत्र स्व0 कैलाश निवासी आयर थाना चोलापुर वाराणसी, उम्र करीब 23 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

चन्दापुर नहर थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी से, दिनांक-24.03.2025 को समय करीब 19.40 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 0082/2025 धारा 137(2),87 बी0एन0एस0 थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 प्रदीप सिंह थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी।

2- का0 अजय कुमार यादव थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।